न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 103/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 10.8.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

हेमराज पि0 मु0 रंगा जाति मीणा निवासी ग्राम सुंथली तहसील नैनवॉ जिला बूंदी (राज0)।

... अपीलार्थी

बनाम

1. संमदरलाल मीणा आत्मज स्व0 मथुरा जाति मीणा निवासी ग्राम सुंथली तहसील नैनवां हाल निवासी नैनवां तहसील नैनवा जिला बूंदी (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैंनवॉ जिला बूंदी (राज0)।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बृजनारायण शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2

:::निर्णय:::

दिनांक 11.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नैंनवां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 21/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान समंदरलाल बनाम हेमराज वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 11.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 समदंरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्थली की जमाबंदी सं0 2071–74 मे कृषि भूमि ख0 सं0 563 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं0 564 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा सं0 567 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा पूर्व मे धूली बेवा जीवण व हेमराज पि0 मु0 रंगा मीना के खातेदारी मे थी। उक्त भूमि धूली के हिस्से व कब्जे की थी। मौके पर बटवारा हो रहा था खाता शामिल था इस भूमि को प्रार्थी के पिता मथुरा ने तत्कालीन खातेदार धूली बेवा जीवण से दिनांक 26.8.1975 को जरिये पंजीकृत खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था सहखातेदार हेमराज की सहमति थी और सहमति के हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर कर दिये थे मथुरा की मृत्यु के बाद प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा अवैधानिक रूप से मथुरा के साथ साथ गलत तरीके से हेमराज पि0 मु0रंगा का नाम जमाबंदी मे अंकित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने समंदरलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि मे हेमराज पि0 मु0 रंगा हि0 1/2 इन्द्राज निरस्त कर सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी

समंदरलाल आ0 मथुरा का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने का दिनांक 11.5.2017 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर हेमराज अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत सुवानिया मे किया गया जिसमे अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना नही दी गई। उक्त भूमि के पूर्व मे खातेदार धूली बेवा जीवण व हेमराज पि0 मु0 रंगा मीना थे जिसमे से रेस्पो0 क्रम–1 के पिता मथुरा ने खातेदार धूली का हिस्सा 1/2 ही पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था ना कि अपीलांट का हिस्सा 1/2 अपीलांट ने अपने 1/2 हिस्से को कभी भी मथुरा को बैचान नही किया तथा ना ही सहमति प्रदान की है। विकल्प मे यदि सहमति मानी भी जाती है है तो वह सहमति धूली के हिस्सा 1/2 को बेचान करने की अनापत्ति मात्र हो सकती है जिससे रेस्पो0 सं0–1 व उसके पिता मथुरा को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है अपीलांट वर्तमान समय मे भी उक्त अपने हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त है व उक्त 1/2 हिस्से की भूमि पर रेस्पो0 अथवा उसके पिता मथुरा का कभी भी कब्जा नही रहा है इन तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर निरतंर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। जेरअपील निर्णय की जानकारी दि0 16.6.2017 को होने पर अपील पेश की गई अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 11.5.2017 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–2 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत सुवानिया मे किया गया जिसमे अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना नही दी गई। आदेशिका अनुसार पत्रावली दिनांक 10.5.2017 को मेरी एवीडेन्स थी। किन्तु बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 11.5.2017 को लोक अदालत मे रख कर निर्णित कर रेस्पो0 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित कर दिया जबकि धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। उक्त भूमि के पूर्व मे खातेदार धूली बेवा जीवण व हेमराज पि0 मु0 रंगा मीना थे जिसमे से रेस्पो0 क्रम–1 के पिता मथुरा ने खातेदार धूली का हिस्सा 1/2 ही पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था ना कि अपीलांट का हिस्सा 1/2 अपीलांट ने अपने 1/2 हिस्से को कभी भी मथुरा को बैचान नही किया तथा ना ही सहमति प्रदान की है। अतः रेस्पो0 सं0–1 व उसके पिता मथुरा को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अपीलांट 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 11.5.2017 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–2 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम मे जेरअपील निर्णय 11.5.2017 राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत सुवानिया मे पारित किया गया जिसकी जानकारी नही होना वर्णित करते हुये निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.6.2017 को वकील से सम्पर्क करने पर होना वर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि रेस्पो0 क्रम 1 के प्रकरण मे उपस्थित नही होने पर उसकी तामील पूर्ण मानी गई एवं रेस्पो0 क्रम–2 राजकीय अभिषक ने शपथ पत्र मे वर्णित उक्त तथ्यो का खण्डन नही किया एव ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 2.5.2017 के अवलोकन से अपीलांट के इस तर्क की पुष्टि होती है कि उक्त दिनांक को अपीलांट की साक्ष्य हेतु पत्रावली मे आगामी तारीख पेश 10.5.2017 नियत की गई थी। नियत तिथी 10.5.2017 को प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही की गई ना ही आदेशिका लिखी गई तथा प्रकरण को बिना विधिसम्मत प्रकिया अपनाये मनमर्जी से दिनांक 11.5.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सुवानिया मे रख कर अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नैंनवा जिला बूंदी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 21/2017 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान समंदरलाल बनाम हेमराज वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 11.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नैंनवा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे वर्णित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें

8 निर्णय आज दिनांक 11.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा